प्रतिवेद्य

mPpre U;k;ky
vkijkf/kd vihyh; {k=kf/kdkj
vkijkf/kd vihy d-1589@2018

e/;izn'k jkT; **vihykFkh**

cuke

dkUgk @ vkeizdk'k **izR;Fkhx.k**

fu.k;

U;k;efrZ Mk-/kuat ;- ok,- pnpM

1. विलम्ब माफ किया गया ।
2. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर के दिनॉक 02/12/2011 के निर्णय एवं आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा यह अपील है। उच्च न्यायालय ने प्रतियर्थी के दोषसिद्धि अंतर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 (आपराधिक विधि) को 324 भा0दं0सं0 में परिवर्तित कर दिया है तथा उसे 40 दिन के कारावास से दंडित किया जो उसके द्वारा 3000/– रूपये के जुर्माने के साथ भोगा जा चुका है।
3. अभियोजन के अनुसार दिनॉक 08/10/2003 को पक्षकारों के मध्य एक विवाद हुआ था । प्रत्यर्थी ने दशरथ सिंह को मारने के आशय से उसपर गोली चलाई जिससे उसे दॉयी जॉघ में रक्तस्रावी चोंटे आई हैं। उसी दिन दशरथ के भाई ने ग्वालियर पुलिस थाने में सूचना दायर की, सूचना में यह बताया कि पक्षकारों के बीच प्रेमविवाह को लेकर जो कि परिवार द्वारा वाधित की गई थी और तो और डिस्क केबल कनेक्शन के कारोबार को लेकर भी झगडा है । अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप था कि वह घातक आयुध लिये हुए था। उन्होनें व्यथित को क्षति पहुॅचाने के आशय से अवैध जमाव बना

लिया था। दंड संहिता की धारा 147 तथा 307 सहपठित 149 तथा 323 के अंतर्गत अभियोगपत्र दाखिल किया गया । दंड संहिता की धारा 307 के अपराध के अंतर्गत प्रत्यर्थी दोषी पाया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास सहित 1000/– रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। सात अन्य सह अभियुक्त उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किए गए ।

4. प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की । उच्च न्यायालय नें धारा 307 को पलटते हुए 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रतयर्थी को दोषसिद्ध किया तथा उसे 40 दिन के कारावास से दंडित किया , जो उसके द्वारा पहले ही 3000/– रूपये जुर्माने के साथ भोगा जा चुका है।

5. विशेष अनुमति द्वारा राज्य ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

6. हमने राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्धान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित उनके विद्धान अधिवक्ता को सुना ।

7. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्धान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय का निर्णय साक्ष्यों के स्पष्टतः त्रूटिपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित है। 0.4 x 0.5 c.m. से 0.4 x 0.6 c.m. के अलग अलग अकार के 11 वेधित घाव व्यथित के शरीर पर डॉक्टर पी. के . मिश्रा (वादी साक्षी 1) के द्वारा पाए गए है, यह घाव चिकित्सीय जॉच के 6 घंटे पूर्व बंदूक द्वारा कारित होना बताये गये है। राज्य के विद्धान अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय उसके समक्ष साक्ष्य को विचार करने में विफल रहा है। घाव के तथा अपराध के साधन स्पष्टतः मृत्यु कारित करने के आशय को साबित करते है तथा कारित की गई उपहति दंड संहिता की धारा 307 के तत्वों को संतुष्ट करती है। अतः अपील अनुज्ञात किये जाने योग्य है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्धान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चोट की प्रकृति अभियोजन के साक्ष्य में नहीं समझाई गई है । न तो डॉक्टर पी. के . मिश्रा (वादी साक्षी 1) और न ही डॉक्टर अमर मुकुंद तिवारी (वादी साक्षी 2) ने चोट की प्रकृति के बारे में अपने मत दिए हैं और यह सिद्ध करने के लिए की दशरथ सिंह को कारित चोंटे घोर प्रकृति की थी या प्राणघाती थी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः

विद्धान अधिवक्ता ने यह आग्रह किया क्यूँकि चोटें भेदन के अस्त्रों से कारित की गई है इसलिए अपराध धारा 307 के स्थान पर धारा 324 दंडसंहिता के अंतर्गत आयेगा ।

9. इन साक्ष्य के आधार पर की चोटें घोर प्रकृति की या प्राण घाती थी ,उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के इस तर्क कि चोट की प्रक्ति निश्चायक सबूत नहीं थी को स्वीकार किया है साक्ष्य के अभाव में कि चोटें धार या प्राणघाती थी उच्च्व न्यायालय ने यह र्निधारित किया कि चोटें साधारण प्रकृति की थी उच्च्व न्यायालय के अवलोकन में, अपराध दं0सं0 की धारा 307 के बजाए धारा 324 के अंतर्गत आएगा।

10. दंड संहिता की धारा 307 पड़ी जाए :-

*** 307 .“ **gR;k djus dk iz;Ru** – जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिसिथितियों में करेगा कि यदि वह कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीए होगा, **vkj ;fn ,sls dk;Z }kjk fdlh 0;fDr dk migfr dkfjr gks tk,]** तो वह अपराधी या तो [आजीवन कारावास] से या ऐसे दण्ड से दण्डनीए होगा, जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है।

vkthou fl)nk"k }kjk iz;Ru ..... {जबकि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति [आजीवन कारावास] के दण्डादेश के अधीन हो , जब यदि उपहति कारित हुई हो , तो वह मृत्यु से दण्डित किया जा सकेगा }

n"Vkar

(क) य का वध करने के आशय से क उस पर ऐसी परिसिथितयों से गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती, तो क हत्या का दोषी होता । क इस धारा के अधीन दण्डनीय है।

(ख) क कोमल वयस के शिशु की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ देता है । क ने इस धारा द्वारा परिभाषित किया है , यद्यपि परिणामस्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती ।

(ग) य की हत्या का आशय रखते हुए क एक बंदूक खरीदता है और उसको भरता है। क ने अभी तक अपराध नहीं किया है । य पर क बंदूक चलाता है। उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, और यदि इस प्रकार गोली मारकर वह य को घायल कर देता है , तो वह इस धारा [के प्रथम पैरे]के पिछले भाग द्वारा उपबंधित दण्ड से दण्डनीय है।

(घ) विष द्वारा य की हत्या करने का आशय रखते हुए क विष खरीदता है, और उसे उस भोजन मे मिला देता है, जो क के अपने पास रखता है, क ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक नहीं किया हैं। क उस भोजन को य की मेज पर रखता है , या उसको य की मेज पर रखने के लिए य के सेवकों को परिदत्त करता है। क ने धारा में परिभाषित अपराध किया है।

धारा 307 का प्रथम भाग संदर्भित करता है ''ऐसे आशय या ज्ञान से कोई कार्य , तथा ऐसी परिस्थितियों में कि यदि अपने उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित की है , वह मृत्यु कारित करने का दोषी होगा'' । धारा 307 का दूसरा भाग जिसमें अधिक सजा का प्रावधान है ''उपहति'' को संदर्भित करता है। जो उस ''कार्य '' के अनुसरण में कारित की गई है।

11. इस न्यायालय के कई निर्णय दण्डविधान की धारा 307 की व्याख्या करते है **egkjk"V jkT; cuke cyjke oky ikfVy (1983) 2 , l-lh-lh 28** के मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि सामान्य परिस्थिती में मृत्यु कारित करने के लिए शारिरिक क्षति पहुॅचाना चाहिए था।

> '' इस धारा के अंतर्गत दोषसिद्धी को उचित ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने के लिए शारिरिक क्षति पहुॅचाई जाए । यद्यपि चोट की प्रकृति जो वास्तविक रूप से कारित हुई , इस निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिए अकसर काफी सहायता दे सकती है कि अभियुक्त का आशय था । इस तरह के आशय का अन्य परिस्थितियों से भी अनुमान निकाला जा सकता है। और यहॉ तक कि कुछ मामलों में

तो वास्तविक घावों पर किसी भी संदर्भ के बिना भी पता लगाया जा सकता है। यह धारा अभियुक्त के कार्य तथा उसके परिणाम के मध्य अंतर बनाती है (यदि कोई हो)। जहॉ तक व्यथित व्यक्ति का सवाल है, ऐसा कृत्य किसी परिणाम में शामिल नहीं हो सकता है। परंतु अभी भी ऐसे मामले हो सकते है जिसमें अपराधी इस धारा के अंतर्गत दोषी होगें । यह आवश्यक नहीं है कि चोंटे जो वास्तविक रूप से हमले से पीड़ित को कारित हुई है साधारण परिस्थितियों में घायल व्यक्ति को मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय को देखना चाहिए कि क्या कार्य बिना उसके परिणाम की अपेक्षा के , तथा इस धारा में उल्लेखित परिस्थितियों में आशय या ज्ञान से किया गया था। प्रयत्न का आपराधिक होने के लिए उपांतिम कार्य होना आवश्यक नहीं है। विधि में यह पर्याप्त है कि, क्रियावन में आशय के साथ प्रत्यक्ष कार्य भी उपस्थित हो । ''

(जोर दिया गया)

विधि में यह स्थिति इस न्यायालय की पश्चातवर्ती पीठ द्वारा अनुसरित की गई । **e0i0 fo:) lyhe (2005) 5 ,l-lh-lh 554** के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि :

'' 13 . धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि को उचित ठहराना पर्याप्त होगा यदि उसके क्रियावन में आशय के साथ प्रत्यक्ष कार्य जुड़ा हुआ है । यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने योग्य शारिरिक क्षति पहॅुचाई जाये। यह धारा अभियुक्त के कार्य तथा उसके परिणाम के बीच अंतर बताता है, यदि काई हों । न्यायालय को देखना चाहिए कि क्या कार्य बिना उसके परिणाम कि अपेक्षा या इस धारा में उल्लेखित परिस्थितियों में आशय या ज्ञान से किया गया था। अतः , अभियुक्त जिस पर धारा 307 भा0दं0सं के अंतर्गत आरोप लगाया गया है केवल इस कारण दोषमुक्त नहीं किया जा सकता कि पीड़ित को जो चोटें पहॅुचाई गई है साधारण प्रकृति की थी।

(जोर दिया गया)

tkx jke fo:) gfj;k.kk jkT; (2015) 11 ,l-lh-lh 366 में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 307 के अंदर अपराध सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने योग्य घातक चोट पहुॅचाई जाए :

> "भा0दं0प्र0 की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए अभियोजन को (i) मृत्यु कारित करने के लिए आशय, तथा (ii) अभियुक्त द्वारा किए गए कार्य, को अभियोजन को स्थापित करना होगा यह साबित करने का भार अभियोजन पर है कि अभियुक्त ने अभियोजन साक्षी की मृत्यु कारित करने का प्रयास किया था। क्या अभियुक्त व्यक्ति का अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय हर मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा । भा0दं0सं0 की धारा 307 के अंतर्गत दोषसिद्धि को सही ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं कि मृत्यु योग्य घातक चोंटे कारित होनी चाहिए । यद्यपि चोट की प्रकृति जो वास्तविक रूप से कारित हुई है इस निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिए सहायता कर सकती है कि अभियुक्त का आशय था। ऐसा आशय अन्य परिस्थितियों से भी निकाला जा सकता है। अभियुक्त का आशय , परिस्थितियॉ जैसे उपयोग किए गए आयुध की प्रकृति , घटना के समय अभियुक्त द्वारा उपयोग किए शब्द, अभियुक्त का हेतु , शरीर का भाग जिसमें चोटे कारित की गई , चोट की प्रकृति तथा कारित की गई चोटों की गंभीरता इत्यादि से निकाला जाना चाहिए "

इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय हमें इस निष्कर्ष पर पहुॅचाते है कि धारा 307 भा0दं0सं के अंतर्गत अपराध के लिए घोर या प्राणघाती उपहति कोई अपिहार्य शर्त नहीं है । अभियुक्त का आशय वास्तिवक चोट से अभिनिश्चित किया जा सकता है , यदि कोई हो। और साथ ही साथ आस–पास की परिस्थितियों से भी । अन्य चीजों के मध्य, उपयोग किये गए आयुध की प्रकृति तथा कारित की गई चोटों की गंभीरता से भी आशय का अनुमान लगाया जा सकता है।

12. विचारण न्यायालय ने विचारण में शामिल की गई साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की । वादी साक्षी 1 डॉ0 पी 0 के 0 मिश्रा ने दिनॉक 08/10/2003 को व्यथित की परीक्षा की 0.4 x 0.5 c.m. से 0.4 x 0.6 c.m. के अलग अलग अकार के 11 वेधित घाव पाए। चोट से रक्तस्त्राव हो रहा था, उस पर कालापन मौजूद नहीं था। उन्होनें उल्लेख किया कि घाव बंदूक से कारित किए गए है तथा परीक्षण के पूर्व 6 घंटों में पहुॅचाये गए है । साक्षी ने कहा कि चोटों की संपुष्टि , एक्सरे की रिर्पोट तथा वार्ड डॉक्टर की विशेषज्ञ राय पर निर्भर है । विकिरण चिकित्सक (रेडियोलाजिस्ट) वादी साक्षी 2 के कथन है कि उन्होनें यह धात्विक घनत्व के कई छोटे गोलाकार अस्पष्ट विकिरण प्रतिबिंब पाए । यह बंदूक की चोटें होना इंगित है।

13. साक्षीयों के साक्ष्य के आधार पर , विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि चोटें प्रत्यर्थी द्वारा कारित की गई है। दशरथ सिंह (वादी साक्षी 11) ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी ने देशी कट्टा से उनके दाहिनी जॉघ में गोली मारी है । परिवादी (वादी साक्षी 12) कहता है कि प्रत्यर्थी ने वादी साक्षी 11 पर इच्छित आशय से उसकी मृत्यु करने के लिए उस पर गोली चलाई थी । चक्षु साक्ष्य अस्पष्ट है तथा चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट है ।

14. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर , विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि अन्य अभियुक्तों का यह आशय था कि दशरथ सिंह पर चोटें कारित कर उसकी मृत्यु की जाये । अतः सह अपराधी को आरोप से दोषमुक्त किया गया ।

15. विचारण न्यायालय ने यह पाया कि वादी साक्षी 4 , वादी साक्षी 8 तथा वादी साक्षी 13 जो कि घटना के स्थान के समीप उपस्थित थे , उन्हें चोटे आई है। साक्षीयों ने स्वीकारा कि उन्हें गोली मारी गई । न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह स्थापित किया गया था कि उपरोक्त घटना कि तिथि , समय एवं स्थान को वंदूक का उपयोग किया गया था तथा उपरोक्त वर्णित साक्षियों को भी गोली से चोटें आई थी । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि इसकी पुष्टि की गई थी कि प्रत्यर्थी द्वारा चलाई गई गोली से पहले व्यथित दशरथ सिंह को चोट कारित हुई । घायल दशरथ सिंह ने कहा कि घटना

का स्थान जहॉ घटना कारित हुई , से प्रत्यर्थी का मकान 40 से 50 मीटर पर है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इन परिस्थितियों में यदि इतनी दूरी से गोली चलाई जाती गई , तो गोली इधर उधर होकर आस पास के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को लग सकती थी । डिक्स केबल के कारबार के सबंध में उभयपक्षों के मध्य लंबे समय से विवाद विद्यमान है और इसी को लेकर उनका झगड़ा हुआ , उस झगडे में जो आगे बढा , प्रत्यर्थी ने दशरथ सिंह पर गोली चलाते हुए उसे चोट पहुॅचाई ।

16. साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि चोटें बंदूक द्वारा कारित की गई । घावों की बाहुलता यह इंगित करती है कि प्रत्यर्थी ने व्यथित पर एक से अधिक बार गोली चलाई है । यह तथ्य कि उपहति प्रत्यर्थी द्वारा कारित की गई पर्याप्त रूप से सिद्ध है । घोर या प्राणघाती चोंटों को सिद्ध करने में वेज्ञानिक साक्ष्य का अभाव , यह मानने के लिए कि धारा 307 लागू नहीं होती है आधार नहीं हो सकता । विधि का यह प्रस्वाव **lk'kiyrh f'kok jked".k jko fo:) vk/kin'k jkT; (2014) 5 ,l-lh-lh 369**में इस न्यायालय के दो जजों की बेंच द्वारा स्पष्ट किया गया है–

18.“ इस तर्क में कि चिकित्सीय अधिकारी के यह कथन कि जब तक कि गला घोटने से थायराइड की हड्डी विस्थापित या टूट नहीं जाती जीवन को कोई खतरा नहीं होता है, का मतलब है कि अभियुक्त को कोई आशय या ज्ञान नहीं था, कि उनके कार्य से मृत्यु हो जायेगी, कोई गुणागुण नहीं है । मामले की परिस्थितियॉ इस धारा के दूसरे भाग को स्पष्टतः आकर्षित करती है क्यूॅकि इस कार्य के परिणामस्वरूप चोट क्रमॉक 5 कारित हुई है जो कि 34 c.m. x 05 c.m. के संयुक्ताक्षर है । यह घ्यान दिये जाने योग्य है कि भा0दं0सं0 कि धारा 307 आजीवन कारावास के लिए उपबंध करती है ,यदि कार्य से उपहति होती है । यह आवश्यक नहीं है कि उपहति घोर होना चाहिए या किसी विशेष स्तर की होनी चाहिए। आरोपी का मृत्यु कारित करने का आशय स्पष्ट रूप से कारण है कि क्योंकि पीड़ित का गला टेलीफोन तार को उसके गले से लपेट कर , यह कहते हुए घोंटा गया था कि उसे मर जाना चाहिए । हम अभियुक्त की ओर से दिए गए तर्क से कोई गुणागुंण नहीं पाते कि मृत्यु कारित करने में उसका कोई आशय नहीं था क्यूॅकि पीड़ित ने यह स्वीकार है कि अभियुक्त आयुध धारण किए

हुए नहीं था । साधरणतः बहुत कम ही लोग थम्स अप बॉटल एवं उपयोग किए गए टेलीफोन तार का आयुध के रूप में विवरण देते हैं । यह कि पीड़ित ने ईमानदारी से स्वीकारा है कि अभियुक्त के पास आयुध नहीं था उसके विरूद्ध या अभियुक्त के पक्ष में नहीं लिया जा सकता है । ''

(जोर दिया गया)

17. वर्तमान मामलें में चोट की प्रकृति यह दर्शाति है कि 11 भेदित घाव थे । अपराध का आयुध बंदूक थी । मामले की परिस्थितियॉ स्पष्टतः इंगित करती है कि मृत्यु कारित करने का आशय था । 11 भेदित तथा रक्तस्त्रावी घाव साथ ही बंदूक का उपयोग कोई अनुमान इंगित नहीं करता कि मृत्यु कारित करने का आशय था । अतः वर्तमान मामले में संहिता की धारा 307 का दूसरा भाग आकर्षित होता है । उच्च न्यायालय के निर्णय ने साक्ष्य के तात्विक भागों को अनदेखा किया है तथा प्रतिकूलता से ग्रस्त है ।

18. अतः हम उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते है तथा संहिता की धारा 307 के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आदेश को पुनःस्थापित करते है, साथ ही साथ 3 बर्ष के कठिन कारावास और 1000/– रूपये जुर्माने की सजा सुनाते है। अपील उपरोक्तानुसार अनुज्ञात की जाती है। सजा भुगतने के लिए प्रत्यर्थी तत्काल समर्पण करें । निर्णय की प्रति रजिस्ट्री द्वारा संबधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित की जावे ।

Mk0 /kuat ;-ok;-pUnpM

Jheku 'kkg

ubZ fnYyh

Qjojh 04] 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर): स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।